संख्या 647(1)/XXXIX–13(बजट)/2011

प्रेषक,

विनोद शर्मा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी/
वित्त अधिकारी,,
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार।
देहरादून।

भाषा विभाग

देहरादूनः दिनांक 14 दिसम्बर, 2011

विषयः– वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या 11 के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के पत्रांक 405/बजट/उ0भा0सं0 /2011–12, दिनांक 14 जुलाई, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भाषा संस्थान के अधिष्ठान के विभिन्न व्ययों के वहन हेतु अनुदान संख्या 11 के लेखा शीर्षक 2202– सामान्य शिक्षा, 05–भाषा विकास, 102– आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन, 00–आयोजनेत्तर, 04–उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान के अन्तर्गत 43–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान में उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च 2011 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार कुल प्राविधानित धनराशि से ₹ 19.73 लाख (₹ उन्नीस लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं वितरण संबंधी कार्य आवश्यकतानुसार आहरण वितरण अधिकारी/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

(2) विभागीय आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जबकि गत वित्तीय वर्ष/वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर लिया गया हो तथा कोई भी धनराशि अवशेष न हो।

(3) इस अनुदान का उपयोग शासन द्वारा स्वीकृत योजनाओं/मदों पर ही किया जायेगा। धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जाएगा। जिन मदों की धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी भी स्थिति में मद परिवर्तन बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए नहीं किया जाएगा। तथा इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यों के लिए ही किया जाएगा।

(4) उक्त धनराशि व्यय किए जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0 209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31–03–2011 में प्रदत्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(5) आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि आहरित कर निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून के पी0एल0ए0 में जमा की जायेगी।

(6) किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2008, भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह ख़ण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राअधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(8) व्यय की सूचना प्रपत्र बी0 एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक शासन को अवश्य उपलब्ध कराई जाए तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।

(9) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–05–भाषा विकास–102–आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्द्धन–00–आयोजनेत्तर, 04–उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान, 43–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामे डाला जाएगा।

भवदीय,

(विनोद शर्मा)
अपर सचिव।

संख्या 647/XXXIX–13(बजट)/2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, केन्द्रीयकृत लेखा एवं भुगतान कार्यालय लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– निदेशक, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
6– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
8– विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(विनोद शर्मा)
अपर सचिव।